भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

05.02.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 604 का उत्तर

प्राइवेट रेलगाड़ियों की शुरूआत

604. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रेल बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार, प्राइवेट रेलगाड़ियों की शुरूआत किए जाने को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो यह रेलगाड़ियां किन-किन मार्गों पर चलेंगी;

(ग) कितनी यात्री रेलगाड़ियों और मालगाड़ियों को प्राइवेट रेलगाड़ियों के रूप में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन प्राइवेट रेलगाड़ियों के आरंभिक और गंतव्य स्टेशन सहित इन्हें शुरू किए जाने की संभावित तिथियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम से चुनिंदा मार्गों पर निवेश आकर्षित करने और 150 से अधिक आधुनिक गाड़ियों को शुरू करने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय ने नवंबर 2020 में प्रस्ताव संबंधी अनुरोध जारी किया है। इन गाड़ियों के परिचालन के लिए सांकेतिक मार्गों की सूची सार्वजनिक डोमेन अर्थात http://www.indianrailways.gov.in/IndicativeRoutesfor12clusters.pdf में उपलब्ध है। पीपीपी माध्यम से परिचालित होने वाली ये सेवाएं अतिरिक्त गाड़ी सेवाएं होंगी। जहां तक मालगाड़ियों का संबंध है, तो वर्तमान में कंटेनर गाड़ियों का परिचालन लाइसेंसधारी कंटेनर संचालकों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, सामान्य प्रयोजन, विशेष प्रयोजन और ऑटोमोबाइल-कैरियर माल डिब्बों के रेक भी निजी पार्टियों द्वारा खरीदे जाते हैं, जो निर्धारित सर्किटों पर परिचालित किए जाते हैं।

(घ) यात्री गाड़ी परिचालन के लिए पीपीपी माध्यम के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित रियायतग्राही को रियायत समझौते के मसौदे में यथा निर्दिष्ट नियत तिथि से 930 दिनों की अवधि के भीतर प्रोटोटाइप कमीशन करना होता है।

******

Sk